

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2021—पौष 21, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2021

क्र. एफ 1-4-2020-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में,—

- (1) विद्यमान शीर्षक “पैंतीस-पशुपालन” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“पैंतीस-पशुपालन एवं डेयरी”

1. अनुसूची में,—

- (2) विद्यमान शीर्षक “पैंतीस-पशुपालन विभाग” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“पैंतीस-पशुपालन एवं डेयरी विभाग”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2021

क्र. एफ 1-4-2020-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4-2020-एक (1) दिनांक 11 जनवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 11th January 2021

No. F 1-4-2020-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

1. In the said rules.—

- (1) For the existing heading "XXXV-Animal Husbandry", the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"XXXV-Animal Husbandary and Dairying"

1. In the Schedule.—

- (2) For the existing heading "XXXV-Animal Husbandry Department", the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"XXXV-Department of Animal Husbandary and Dairying"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VINOD KUMAR, Addl. Chief Secy.